

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 175
दिनांक 18 नवम्बर, 2019

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति

175. श्री चन्देश्वर प्रसाद:
श्री के. नवासखनी:
श्री फरोज़ वरुण गांधी:
श्री ए. राजा:
श्री उन्मेष भैय्यासाहेब पाटील:
श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश धानोरकर:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) जैव ईंधन 2018 संबंधी राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और देश में इसके आरंभ होने से लेकर अब तक अनुमोदित, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है तथा इस नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक निवेश की तमलनाडु सहित राज्यसंघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में इथेनॉल मश्रत पेट्रोल लक्ष्य में वृद्ध की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं निर्धारित प्राप्त लक्ष्य क्या हैं और चीनी मलों की वर्तमान इथेनॉल उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा तमलनाडु सहित देश में बंद चीनी मलों को पुनः आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) संसटेनेबल अल्टरनेटिव अफोरडेबल ट्रांसपोर्टेशन (एसएटीएटी) सतत योजना के अंतर्गत स्थापना हेतु प्रस्तावित जैव गैस और जैव ईंधन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और देश में जैव गैस के उत्पादन और उपयोग के संवर्धन हेतु क्या उपाय किए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार का वचार व्यापक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मलाने की अनुमति देने का है और यदि हां, तो अनुमानित योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कतना व्यय होने की संभावना है; और
- (ङ) क्या सरकार खाद्य तेल से बायो डीजल बनाने का कार्यक्रम लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा देश में कतने संयंत्र स्थापित किए गए हैं एवं बायो डीजल के निर्माण हेतु सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से राज्यसंघ राज्यक्षेत्र/कंपनी-वार कतनी कंपनियां शामिल हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मन्द्र प्रधान)

(क) सरकार ने नई राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को दिनांक 08.06.2018 को अधसूचित किया है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्न लखत हैं -

- (i) जैव ईंधन को "मूलभूत जैव ईंधन" और "उन्नत जैव ईंधन" में वर्गीकृत किया गया है।

- (ii) उन्नत जैव ईंधनों के लिए प्रोत्साहन, सुनिश्चित खरीद और व्यवहार्यता में कमी संबंधी निधीयन का प्रावधान है।
- (iii) एथेनॉल उत्पादन के लिए बी-मोलासेस, गन्ना-रस, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और अधशेष (सरप्लस) खाद्यान्न के इस्तेमाल की अनुमति दी गयी है।
- (iv) गैर खाद्य तिलहनों, प्रयुक्त खाद्य तेल और लघु उत्पादन अवध की फसलों से जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला को स्थापित किया जाना।
- (v) जैव ईंधनों के संबंध में प्रयासों को समेकित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/वभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुसरण में, लग्नोसैल्लोसक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करने वाली एकीकृत जैव ईंधन परियोजनाओं को वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 अवध के लिए कुल 1969.50 करोड़ रुपए के कुल वत्तीय परिव्यय से वत्तीय मदद उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन- वातावरण अन्कूल फसल अवशेष निवारण) योजना" का अन्मोदन किया है।

(ख) एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 (दिसंबर 2013 से नवंबर 2014 तक) में एथेनॉल मश्रत पेट्रोल प्रतिशत 1.53% से उत्तरोत्तर बढ़कर ईएसवाई वर्ष 2017-18 में 4.22% हो गया है। वर्तमान में दिनांक 11.11.2019 की स्थिति के अनुसार एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2018-19 के लिए लक्षित 225 करोड़ लीटर एथेनॉल अधप्राप्ति की तुलना में कुल 180.80 करोड़ लीटर एथेनॉल की अधप्राप्ति कर ली गई है। खाद्य और सार्वजनिक वतरण वभाग (डीएफपीडी) ने सूचित किया है कि देश में चीनी मलों से जूड़ी इस्टिलरियों की एथेनॉल की कुल प्रभावी उत्पादन क्षमता करीब 355 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है। बंद सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की चीनी मलों को फर से खोले जाने के संबंध में डीएफपीडी ने आगे सूचित किया है कि यह जिम्मेदारी संबंधित राज्यसंघ शासित प्रदेश की है। निजी चीनी मलों के संबंध में, बंद चीनी मलों को फर से खोलने के लिए उद्यमी को कदम उठाने होते हैं।

(ग) वहनीय ढूलाई के लिए दीर्घकालीन वकल्प (एसएटीएटी) योजना के तहत देश भर में वर्ष 2023 तक 5000 संपीडित जैव गैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने भावी उद्यमियों से सीबीजी अधप्राप्ति के लिए रुच की अभ्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है और सीबीजी की खरीद के लिए सुनिश्चित कीमत का प्रस्ताव किया है।

(घ) तेल वपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के माध्यम से सरकार एथेनॉल मश्रत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत ओएमसीज एथेनॉल की उपलब्धता के आधार पर 10% तक के एथेनॉल मश्रत पेट्रोल की बिक्री करती हैं। पेट्रोल में मश्रण करने के लिए ओएमसीज एथेनॉल की अधप्राप्ति करती हैं। वर्तमान एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2018-19 में दिनांक 11.11.2019 तक की स्थिति के अनुसार 180.80 करोड़ लीटर एथेनॉल की अधप्राप्ति की जा चुकी है।

(ङ) प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ) से उत्पादित जैव डीजल की अधप्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, ओएमसीज ने देश भर में 100 स्थलों पर यूसीओ को प्रोसेस करने हेतु जैव डीजल संयंत्रों को स्थापित करने के लिए दिनांक 10.08.2019 को रुच की अभ्यक्ति आमंत्रित की है। दिनांक 10.10.2019 को इसका वस्तार और 200 स्थलों के लिए किया गया है।
